राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 01401/2023

अनूराधा जाटव **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (अराजपत्रित) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वतंत्रता सैनानी स्व. श्री मंगल सिंह जिला चिकित्सालय, धौलपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.05.2023
आदेश की दिनांक : 11.05.2023

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री देशराज कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर मंगल सिंह जिला चिकित्सालय धौलपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक—1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ में बिना किसी प्रशासनिक कारण के किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 11.02.2016 को जी.एन.एम. के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलपुर में हुई थी तथा जिला धौलपुर से अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया था। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 700 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.05.2023 (अनुलग्नक—2) को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया।

अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 14.01.2023

(अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 04.05.2023 (अनुलग्नक–2) के अनुसरण में अपीलार्थी को नर्सिंग अधिकारी के पद पर मंगल सिंह जिला चिकित्सालय धौलपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य